संशोधित अनुक्रमणिका

नियमावली नियम

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र —
प्रस्तावना —
प्रार्थना —
आचार संहिता —
प्रतीक चिन्ह —

1. संस्था का नाम — 1
2. संस्था का कार्यालय — 1
3. संस्था का कार्यक्षेत्र — 1
4. संस्था का उद्देश्य — 1
5. सदस्यता — 2
6. सदस्यता की प्राप्ति — 4
7. सदस्यता की योग्यता — 4
8. सदस्यता अवधि एवं सदस्यता की समाप्ति — 5
9. संस्था कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पंजीयन — 5
10. संभागीय शाखा — 6
11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य — 10
12. कार्यकारिणी का गठन — 12
13. कार्यकाल — 12
14. अधिकार एवं कर्तव्य — 12
15. अध्यक्ष के अधिकार — 13
16. उपाध्यक्ष के अधिकार — 14
17. महासचिव के अधिकार — 14
18. वित सचिव के अधिकार — 15
19. बैंक खाता — 17
20. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी — 18
21. संशोधन — 18
22. विघटन — 19
23. सम्पति — 19
24. बैंक खाता / आय–व्यय का अंकेक्षण — 20
25. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना — 20
26. विवाद — 20
27. चुनाव नियम एवं प्रक्रिया — 21 से 28

प्रस्तावना

हम छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनीज, के अभियंता गण भारतमाता को नमन करते हुए एवं भारतीय संविधान को स्मरण रखते हुए मन वचन एवं कर्म की एकात्मता के साथ छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ की इस नियमावली को स्वीकार एवं अंगीकार करते है।

हम राष्ट्र हित, प्रान्तहित, विद्युत मंडल हित एवं उपभोक्ता हित की भावना से कार्य करेंगे एवं हमारा विश्वास है कि हमारी यह नियमावली हमें हमारे हितों के संरक्षण हेतु प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

प्रार्थना

हम सब भारतमाता से प्रार्थना करते है कि सदैव हम सबमें सद्बुद्धि एवं सद्ज्ञान का प्रवाह करें ताकि हम सब साहस एवं निष्ठा के साथ अपने सद्कर्मों से अपने कर्त्तव्यों का वहन करते हुए अपने राष्ट्र की सेवा कर सकें ।

हमारा आदर्श वाक्य

कर्त्तव्य पालन सह अधिकार रक्षा

हमारा लक्ष्य:-

- विद्युत उत्पादन पर सजग दृष्टि ।
- उपभोक्ता विश्वास के द्वारा उपभोक्ता संतुष्टि ।
- उपभोक्ता संतुष्टि के द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा ।

आचार–संहिता

- हम आत्म नियंत्रण के साथ सभी परिस्थितियों में ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा कायम रखेंगे।
- हम सदैव नैतिक साहस के साथ तकनीकी विषयक उचित परामर्श प्रदान करेंगे।
- हम अपने कनिष्ठ सदस्यों की भावनाओं को स्मरण रखते हुए सदैव उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे।
- हम सदैव अपने वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान करेंगे।
- हम अपने सह सदस्यों की प्रगति एवं प्रतिष्ठा हेतु प्रयत्नशील रहेंगे एवं किसी को कभी भी कलंकित नहीं करेंगे।
- हम अपने तकनीकी व्यवसायिक ज्ञान, उसकी बुद्धि, अभियांत्रिकीय एवं औधोगिक गतिविधियों हेतु उचित दृष्टिकोण के साथ जनसमुदाय के कल्याण एवं गरिमामय स्तर के विकास हेतु प्रयत्नशील रहेंगे।
- हम पावर कंपनीज एवं राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सर्वोपरि रखकर, उपभोक्ता सेवाओं को उच्चतम प्राथमिकता देते हुए पूर्ण निष्ठा एवं पूर्ण क्षमता के साथ आपस में मिल–जुलकर कार्य करेंगे।
- हम अभियंता संघ की नियमावली का सदैव सम्मान करेंगे।

RFS जावक 125/2003

02/05/2003 एवं जावक क्रमांक 2374 दिनांक 19.12.2019

छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ
संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम

संस्था का नाम छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ होगा, जिसे अभियंता संघ के नाम से संबोधित किया जायेगा।

2. संस्था का कार्यालय

संस्था का मुख्यालय, छत्तीसगढ राज्य पावर कंपनीज के मुख्यालय वाले स्थान में होगा। (वर्तमान कार्यालय डंगनिया, तहसील रायपुर, जिला–रायपुर छत्तीसगढ़ है)

3. संस्था का कार्यक्षेत्र

संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(अ) अभियंता संघ समान विचारधारा वाली संस्थाओं से सम्बद्रता रख सकेगी।

(ब) अभियंता संघ किसी राजनीतिक दल से संबद्व नहीं होगा।

4. संस्था का उद्‌देश्यः

4.1 सदस्यों के मध्य विभिन्न अभियांत्रिकी एवं प्रशासनिक समस्याओं के समाधान हेतु चर्चा एवं विचार विनिमय हेतु एक मंच उपलब्ध कराना। सामान्य जनता की सेवा में गुणात्मक सुधार के दृष्टिकोण के साथ अभियंताओं के लिए स्वस्थ परम्पराओ एवं व्यवस्था का निर्माण करना।

4.2 संगठन की एकता की भावना के साथ अभियंता सदस्यों के मध्य भाईचारा, आपसी तालमेल, सम्मान, विश्वास एवं सहयोग की अनुभूति का विस्तार करना।

4.3 अभियंता संघ के सदस्यों की व्यवसायिक स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं हित को सुरक्षित रखना एवं प्राप्त करना।

4.4 सदस्यों को अन्याय के विरूद्व संरक्षण देना।

4.5 सदस्य के निधन स्थायी अपंगता तथा गंभीर बीमारी की अवस्था में सदस्य एवं उनके परिवारजनों को आर्थिक सहायता देने हेतु कल्याण योजनाओं का निर्माण करना एवं संचालन करना।

4.6 जब भी आवश्यक समझा जाए, प्रशासनिक समस्याओं के समाधान हेतु अध्ययन एवं विचार करके विद्युत मंडल एवं शासन को उचित एवं आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना।

4.7 उपभोक्ता सेवा एवं संतुष्ठि के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सदैव सकारात्मक प्रयास करना।

4.8 नियोक्ता एवं कर्मचारियों के मध्य संबंध की भावना के साथ विकास, योजना, निर्माण, उत्पादन, संचालन, संवहन, वितरण एवं सुधार के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु रचनात्मक कार्य करना।

4.9 सदस्यों द्वारा सामान्य जन के प्रति अपने कर्त्तव्यों के निवर्हन हेतु उच्च आदर्श नीति एवं मापदंड के निर्माण विस्तार एवं प्रोत्साहन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।

4.10 राष्ट्र एवं राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विद्युत ऊर्जा को उपलब्ध कराने हेतु, क्रियान्वयन एवं मार्गदर्शन हेतु, मंच के माध्यम से कार्य करना।

4.11 कर्मचारियों एवं अभियंताओं के मध्य पारस्परिक मधुर संबंध के निर्माण हेतु सकात्मक एवं रचनात्मक प्रयास करना।

5. सदस्यता

संस्था में निम्नानुसार सदस्यता प्रदान की जावेगी।

5.1 पंजीकृत सदस्य

समस्त पात्र अभियंतागण को 100.00 रूपये पंजीयन शुल्क के साथ निर्धारित पंजीयन आवेदन पत्र महासचिव को प्रस्तुत करना होगा। पंजीकृत सदस्यों को पंजीयन क्रमांक दिया जावेगा एवं उनके पंजीयन से संबंधित समस्त प्रविष्ठियों पंजीयन रजिस्टर में दर्ज की जावेगी। आवेदन पत्र एवं शुल्क समस्त सदस्यों हेतु अनिवार्य है।

5.2 आजीवन सदस्यता

(ए) पंजीकृत सदस्य द्वारा सदस्यता शुल्क रुपए 100/– प्रतिमाह देय होगा। यह नियम वर्तमान सदस्यों एवं भविष्य में पंजीयन कराने वाले सदस्यों, दोनों पर लागू होगा। सेवानिवृत्त अभियंताओ पर लागू नहीं होगा।

(बी) आवेदक जो मध्यप्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ के आजीवन सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ के स्वयमेव सदस्य बन जायेंगे। इस हेत उन्हें

आजीवन सदस्यता का आवेदन महासचिव को देना होगा। पंजीयन आवेदन एवं पंजीयन शुल्क समस्त सदस्यों हेतु अनिवार्य हैं।

(सी) विलोपित।

5.3 मतदाता/उम्मीदवार सदस्यः

(1) अभियंता संघ के सेवारत पंजीकृत सदस्य मतदान की पात्रता रखेंगे।

(2) सदस्य, जो छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनीज में सक्रिय किसी भी अन्य संगठन/संघ का पदाधिकारी होगा वह अभियंता संघ में चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा और ना ही अभियंता संघ में किसी पद पर रह सकेगा।

(3) अभियंता संघ के अध्यक्ष/ महासचिव/ वित्त सचिव एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्य को चुनाव लड़ने के लिए क्रमशः 20000 रूपये/ 20000 रूपये/15000 रूपये एवं 5000 रूपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। यह राशि अध्यक्ष , महा सचिव, एवं वित्त सचिव हेतु कुल प्राप्त वैध मतों के न्यूनतम 15 प्रतिशत और केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य हेतु न्यूनतम 25 प्रतिशत प्राप्त करने कि स्थिति में ही वापसी योग्य होगी।

(5) चुनाव के समय किसी भी प्रत्याशी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किसी भी तरह के प्रिंट मीडिया का उपयोग जैसे पोस्टर / बैनर/ पर्चा/ पाम्प्लेट/घोषणापत्र इत्यादि का उपयोग प्रतिबंधित होगा। प्रत्याशी द्वारा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा चुनाव प्रचार को प्राथमिकता दी जावेगी। उपरोक्त नियम का उलंघ्घन करने पर प्रत्याशी का नामांकन चुनाव समिति द्वारा रद्द करने का अधिकार होगा।

(6) व्हाट्सएप ग्रुप केवल सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु है। अतः ग्रुप में किसी भी सदस्य द्वारा संघ के किसी अन्य सदस्य के लिए अनुचित टिप्पणी/दोषारोपण करना, संघ या किसी सदस्य की गरिमा को क्षति पहुंचाना अनुशासनहीनता माना जाएगा। ऐसा पाया जाने पर ग्रुप से बाहर किया जा सकेगा। साथ ही इसकी पुनरावृत्ति पर केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा अभियंता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

(7) संघ के अध्यक्ष महासचिव एवं वित्त सचिव पद हेतु इच्छुक प्रत्याशियों का विद्युत कंपनियों में कार्यकाल, चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना की तिथि से कम से कम तीन वर्ष शेष होना चाहिए।

सेवानिवृत्ति अथवा पद त्याग की स्थिति में रिक्त हुए अध्यक्ष, महासचिव एवं वित्त सचिव पद को क्रमशः उपाध्यक्ष, संगठन सचिव एवं संयुक्त सचिव (वित्त) द्वारा पदभार ग्रहण किया जाएगा एवं शेष कार्यकाल तक क्रियान्वयन किया जाएगा।

5.4 सम्माननीय सदस्यः

केन्द्रीय कार्यकारिणी अपनी कुल संख्या के दो तिहाई बहुमत के द्वारा विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौधोगिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को सम्मानीय सदस्य नामजद करने हेतु आमन्त्रित करेगी, इनका कार्यकाल उस केन्द्रीय कार्यकारिणी के कार्यकाल अवधि का होगां।

5.5 विशेष आमन्त्रित सदस्यः

(ए) केन्द्रीय कार्यकारिणी, कार्यकारिणी अवधि सामान्य सदस्यों में से विशेष आमन्त्रित सदस्य मनोनयन कर सकेगी।

5.6 जोनल प्रतिनिधि सदस्यः

(ए) केन्द्रीय कार्यकारिणी, कार्यकारिणी अवधि हेतु प्रत्येक क्षेत्र से जोनल प्रतिनिधि का मनोनयन कर सकेगी।

5.7 (ए) प्रत्येक सदस्य को अपने समस्त भुगतान अभियंता संघ के पदाधिकारी/प्रतिनिधि से स्वयं सत्यापित कराना वांछनीय है। अन्यथा अगर त्रुटि 6 माह से अधिक की होगी तो सदस्य अभियंता संघ के सुविधाओं/ लाभ/ अधिकार से वंचित रहेगा।

(बी) आवश्यकता होने पर अभियंता संघ अपने सदस्यों से विशेष सहयोग राशि एकत्रित कर सकेगा।

(सी) अभियंता संघ अपने वित्त सचिव के हस्ताक्षर के निर्धारित रसीद के माध्यम से सदस्यों अथवा बाहरी व्यक्तियों/ संस्थाओं से नकद/वस्तु रूप में दान/ सहायता प्राप्त कर सकेगा।

(डी) अभियंता संघ के क्षेत्र अपनी क्षेत्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षरा से क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार मासिक/वार्षिक शुल्क एकत्रित कर सकते है।

6. सदस्यता की प्राप्तिः

नियम–5 अनुसार पात्र आवेदक को निर्धारित आवेदन–पत्र में महासचिव को आवेदन करना होगा। आवेदन को स्वीकार करने या अमान्य करने का केन्द्रीय कार्यकारिणी को अधिकार होगा।

7. सदस्य की योग्यताः

7.1 परिभाषा :

शब्द अभियंता या इंजीनियर में आर्किटेक्ट, केमिस्ट एवं प्रशिक्षु स्नाक, प्रशिक्षु केमिस्ट एवं अन्य अधिकारी, जिन्हें इंजीनियरिंग, शैक्षणिक योग्यता प्राप्त हो, सम्मिलित रहेंगे।

7.2 पात्रताः

(ए) छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनीज में कार्यरत समस्त प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अभियंता गण संस्था के सदस्य बनने की पात्रता रखेंगे, एवं ऐसे जूनियर

इंजीनियर जिनके शैक्षणिक योग्यता बीई है एवं जिन्होने सहायक अभियंता का हायर पे स्केल ले चुके है संस्था की सदस्यता बनने की पात्रता रखेगें लेकिन उन्हें पात्रोपाधी अभियंता संघ की सदस्यता छोड़नी होगी।

(बी) ऐसे अभियन्तागण जो समयबद्व पदोन्नति/संशोधित अथवा किसी अन्य योजना से पदोन्नत होकर द्वितीय में पदस्थ हुए हैं, संस्था के सदस्य बनने की पात्रता रखेंगे तथा इस हेतु उन्हें अपने पूर्व संघ/संगठन की सदस्यता छोड़ना होगी।

8. सदस्यता अवधि एवं सदस्यता की समाप्तिः

(ए) अभियंता संघ का सदस्य कंपनी से सेवानिवृत्त होने के बाद भी अभियंता संघ का सदस्य रहेगा, लेकिन चुनाव में उन्हें मतदान का अधिकार नही रहेगा।

(बी) महासचिव को लिखित में एक माह की सूचना के साथ इस्तीफा देने एवं स्वीकृत होने पर सदस्यता समाप्त हो जावेगी।

(सी) मृत्यु, सेवानिवृत्ति, इस्तीफा अपरिपक्व सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति, पागल हो जाने पर, चारित्रिक दोष होने पर कार्यकारिणी कुल सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों के निर्णयानुसार निकाले जाने का निर्णय पारित की लिखित सूचना होने पर सदस्यता समाप्त हो जावेगी।

(डी) किसी विशेष अवसर पर जब सदस्य की सेवा मंडल द्वारा समाप्त कर दी गई हो एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी आवश्यकता समझने पर निर्णय लेकर सदस्य की सदस्यता को जारी रख सकेगी।

9. संस्था कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पंजीयन एवं आजीवन सदस्यता

(ए) सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय

(बी) सदस्यता की तिथि एवं रसीद नंबर

(सी) आजीवन सदस्यता से संबंधित विवरण

(डी) सदस्यता समाप्ति तिथि एवं विवरण

(ई) सदस्य के हस्ताक्षर

10. अभियंता संघ की निम्न चतुष्फलकीय संरचना होगी–

(ए) संभागीय शाखा

(बी) क्षेत्रीय कार्यकारिणी

(सी) केन्द्रीय कार्यकारिणी

(डी) साधारण सभा

10.1 संभागीय शाखा

(ए) सामान्यतः एक संधारण एवं संचालन संभाग के सीमा अन्तर्गत कार्यरत समस्त सदस्यगणों से अभियंता संघ की संभागीय शाखा का गठन होगा। नये संभाग/छोटे उत्पादन केन्द्र/मिनी माइक्रो जल उत्पादन केन्द्र खुलने पर संभागीय शाखा का स्वयमेव गठन हो जायेगा इसकी घोषणा संगठन सचिव केन्द्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक में करेंगे।

(बी) उत्पादन केन्द्रो, उत्पादन केन्द्र (निर्माणाधीन) में क्षेत्रीय कार्यकारिणी सुविधा अनुसार संभागीय शाखाओं का गठन करेगी तथा क्षेत्रीय सचिव, केन्द्रीय

कार्यकारिणी के संगठन सचिव को घोषणा हेतु सूचित करेगा। ऐसा केन्द्रीय कार्यालय क्षेत्र में भी लागू होगा।

(सी) क्षेत्रीय सचिव अथवा पर्यवेक्षक की उपस्थिति में संभागीय शाखा की बैठक में संभागीय प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जायेगा। बैठक में कुल सदस्यों के आधे सदस्यों का कोरम होगा। संभागीय प्रतिनिधि क्षेत्रीय कार्यकारिणी का पदेन सदस्य होगा एवं उसे वहां मत देने का अधिकार होगा।

(डी) पद खाली होने पर अथवा प्रत्येक वर्ष मार्च में में संभागीय प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा।

(ई) प्रत्येक माह में सामान्यतः एक बैठक होगीं।

(एफ) केन्द्रीय कार्यकारिणी के निर्णयों, नीतियों, योजनाओं को लागू कराना, बैठक का रिकार्ड रखना तथा सदस्यों की पदस्थापना, स्थानांतरण इत्यादि की सूचना क्षेत्रीय सचिव एवं संगठन सचिव को प्रेषित करना, संभागीय प्रतिनिधि का दायित्व होगा। वह संभाग की समस्याओं को क्षेत्रीय सचिव को सूचित करेगा। वह केन्द्रीय कार्यकारिणी /क्षेत्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित शुल्क एकत्रीकरण में सहायता करेगा।

(जी) अत्याधिक आवश्यकता होने पर केन्द्रीय कार्यकारिणी अपनी विशेष बैठक हेतु संभागीय प्रतिनिधि को आंमत्रित करेगी एवं उसे उस बैठक में मत देने का अधिकार होगा।

10.2 क्षेत्रीय कार्यकारिणी :

(ए) अभियंता संघ के सुचारू संचालन हेतु पूरे राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जायेगा। सामान्यतः प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय (मुख्य अभियंता/कार्यपालक निदेशक) तथा उत्पादन केन्द्र अभियंता संघ का क्षेत्र होगा। केन्द्रीय कार्यालय भी एक क्षेत्र होगा।

(बी) अभियंता संघ के नये क्षेत्र के गठन हेतु केंद्रीय कार्यकारिणी के दो तिहाई बहुमत से अनुमोदन उपरान्त संगठन सचिव नये क्षेत्र के गठन की अधिसुचना जारी कर सकेगा।

(सी) क्षेत्र में 150 सदस्यों के ऊपर एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा 200 सदस्यों के ऊपर दो क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे।

(डी) क्षेत्रीय कार्यकारिणी में निम्न व्यवस्था रहेगी–

1. क्षेत्रीय अध्यक्ष 1
2. क्षेत्रीय उपाध्यक्ष 1
3. क्षेत्रीय सचिव 1
4. क्षेत्रीय वित सचिव.. 1
5. क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य.. 2
6. क्षेत्रीय प्रतिनिधि ....(10 सी) के अनुसार

(ई) 1.क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय सचिव, क्षेत्रीय वित सचिव, क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य तीन एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि का निर्वाचन चुनाव के माध्यम से होगा। निर्वाचित क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्यों में से एक क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का मनोनयन किया जायेगा।

2. चुनाव द्वारा गठन ना होने की स्थिति पर क्षेत्रीय कार्यकारिणी का गठन केद्रीय कार्यकारिणी के चुनाव के तीन माह के भीतर अनिवार्य रूप से कर दिया जावेगा। साथ ही क्षेत्रीय पदाधिकारीयों के स्थानांतरण/ सेवानिवृत्ति की स्थिति में सामन्यतया उक्त पद पर पदभार ग्रहण करने वाले अभियंता संघ के सदस्य ही आगामी अधिसूचना तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यकारिणी के पद को ग्रहण करेंगे।

(एफ) क्षेत्रीय सचिव एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि, केन्द्रीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे एवं उन्हें वहां मत देने का अधिकार होगा।

(जी) क्षेत्रीय सचिव संभागीय शाखाओं के संगठन एवं कार्य हेतु जिम्मेवार होगा। समय–समय पर वह संभागीय शाखाओं की बैठक में उपस्थित होगा तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी की नीतियों निर्णयों से सभी सदस्यों को अवगत करायेगा।

(एच) क्षेत्रीय सचिव संगठन एवं प्रचार के कार्यों को कार्यकारिणी सदस्यों के मध्य वितरित करेगा।

(आई) क्षेत्रीय सचिव, क्षेत्रीय बैठक का रिकार्ड रखेगा। वेनेवोलेन्ट ट्रस्ट के सदस्यों की जानकारी तथा पदस्थापना एवं स्थान की सूचना संगठन सचिव को समय–समय पर प्रेषित करेंगे।

(जे) सामान्यतः प्रति दो माह में क्षेत्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी।

(के) प्रत्येक क्षेत्र वर्ष में कम से कम एक क्षेत्रीय सामान्य सभा की बैठक आयोजित करेगा, जिसका कोरम कम से कम एक तिहाई सदस्यों का होगा।

(एल) 1. वर्तमान में अभियंता संघ की निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यकारिणी हैं–

1. अम्बिकापुर क्षेत्र, 2. बांगो उत्पादन केन्द्र क्षेत्र, 3. बिलासपुर क्षेत्र, 4. केन्द्रीय कार्यालय क्षेत्र, 5. दुर्ग क्षेत्र, 6. जगदलपुर क्षेत्र, 7. कोरबा पूर्व क्षेत्र, 8. कोरबा पश्चिम क्षेत्र, 9. रायगढ़ क्षेत्र, 10. रायपुर क्षेत्र, 11. राजनंदगांव क्षेत्र। इसके अलावा 12. डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, 13. अटल बिहारी वाजपेयी

ताप विद्युत गृह मड़वा 14. भिलाई – 3, अभियंता संघ के रिजन या क्षेत्रीय कार्यकारिणी होंगे अतः पहले अभियंता संघ के 11 रिजन थे जो 14 हो जाएगे।

2. क्षेत्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वित्तीय वर्ष (अप्रेल से मार्च) का होगा।

10.3 केन्द्रीय कार्यकारिणी :

(ए) अभियंता संघ की नीतियां के संचालन एवं निर्वहन के लिए अभियंता संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी का निम्नानुसार गठन होगा–

1. अध्यक्ष 1
2. उपाध्यक्ष 2
3. महासचिव 1
4. संगठन सचिव.. 1
5. वित सचिव 1
6. संयुक्त सचिव (वित्त) 1
7. संयुक्त सचिव (प्रचार) 1
8. कार्यकारिणी सदस्य (उपरोक्त मनोनीत सदस्यों को मिला कर)......... 18

(बी) अध्यक्ष, महासचिव, वित्त सचिव एवं 18 कार्यकारिणी सदस्यों को मतदाताओं द्वारा सीधे चुना जायेगा।

(सी) 18 निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों में से केन्द्रीय कार्यकारिणी दो उपाध्यक्ष, एक संगठन सचिव, एक संयुक्त सचिव (वित्त) एवं एक संयुक्त सचिव (प्रचार) का मनोनयन करेगी।

(डी) पूर्व सत्र के अध्यक्ष एवं महासचिव वित्त सचिव नई केन्द्रीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे एवं उन्हें बैठक में मत देने का अधिकार होगा।

(ई) 10.2 (एफ) के अनुसार क्षेत्रीय सचिव एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि केन्द्रीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होगे एवं उन्हे मत देने का अधिकार होगा।

(एफ) अखिल भारतीय पावर इंजीनियर्स फेडरेशन एवं अन्य संबंधित केन्द्रीय संघों में चुने गये या मनोनीत अभियंता संघ के सदस्य, केन्द्रीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

(जी) सम्मानीय सदस्य/विशेष आमंत्रित/मनोनीत सदस्य केन्द्रीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे एवं उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(एच)ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन या उसकी संबंधित शाखा हेतु केन्द्रीय कार्यकारिणी के कार्यकाल अवधि हेतु सदस्य नामजद होंगे।

(आई) केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा लिये गये समस्य निर्णय अभियंता संघ के समस्य सदस्यों द्वारा पालन किये जाएगें।

(जे) केन्द्रीय कार्यकारिणी, अभियंता संघ के लक्ष्य एवं उद्देश्य के लागू एवं पूर्ण करने हेतु जिम्मेदार होगी।

(के) एक वर्ष में कम से कम 06 बैठक आयोजित होगी, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक होना आवश्यक होगा।

(एल) अध्यक्ष की सलाह से अथवा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों के अनुरोध पर महासचिव केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करेंगे।

(एम) बैठक हेतू एक सप्ताह की पूर्व सूचना आवश्यक होगी। आकस्मिक बैठक किसी भी समय अल्प सूचना पर बुलाई जा सकेगी।

(एन) केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक का कोरम एक तिहाई सदस्यों का होगा। सामान्य विषयों पर निर्णय बहुमत से लिए जायेंगे। अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार होगा। आन्दोलन, नियमावली संशोधन, सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय दो तिहाई बहुमत से लिए जायेंगे। आवश्यक होने पर मतदान हाथ उठाकर किया जायेगा।

(ओ) विलोपित।

(पी) केन्द्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वित्तीय वर्ष (अप्रेल से मार्च) का होगा।

10.4 साधारण सभा :

(ए) अभियंता संघ के समस्त पात्र सदस्य मिलकर साधारण का गठन करेगें तथा साधारण सभा अभियंता संघ की सर्वोच्च शाखा होगी। साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार रखी जायेगी। और इस बैठक में जो भी प्रस्ताव पारित किया जायेगा वह अभियंता संघ का अंतिम निर्णय होगा।

(बी) चुनाव निर्णय के घोषित होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर नई केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा शपथ ग्रहण की जावेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी/सदस्य द्वारा नई केन्द्रीय कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण करने के एक माह के अन्दर साधारण सभा की बैठक आयोजित होगी। असामान्य परिस्थितियों में साधारण सभा की बैठक स्थगित/निलम्बित की जा सकेगी परन्तु वार्षिक अधिवेशन में इसका कारण प्रदर्शित करना होगा। वार्षिक अधिवेशन मुख्यालय में आयोजित किये जायेंगे।वार्षिक अधिवेशन मुख्यालय से बाहर आयोजित करने अथवा आयोजित नहीं करने को केन्द्रीय कार्यकारिणी की कुल संख्या के बहुमत से अनुमोदित किया जायेगा तथा इसे साधारण सभा में बताना/प्रदर्शित करना होगा।

(सी) वार्षिक साधारण सभा बैठक के अतिरिक्त बुलाई गई साधारण सभा बैठक को असाधारण बैठक कहा जायेगा। किसी महत्वपूर्ण विषय पर आवश्यक समझने पर केन्द्रीय कार्यकारिणी किसी भी समय साधारण सभा की असाधारण बैठक बुला सकेगी।

(डी) अभियंता संघ के कम से कम 20 प्रतिशत सदस्यों के महासचिव को किये गये लिखित अनुरोध पर असाधारण बैठक बुलाई जा सकेगी।

(ई) बैठक की सूचना

1. वार्षिक बैठक हेतु 15 दिनों की पूर्व सूचना (नोटिस) आवश्यक होगी।
2. असाधारण बैठक हेतु 07 दिनों की पूर्व सूचना (नोटिस) आवश्यक होगी।

3. पूर्व सूचना में (नोटिस) को केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित बैठक का स्थान, दिनांक, समय तथा एजेन्डा का उल्लेख आवश्यक होगा।
4. सभी पूर्व सूचना (नोटिस) को क्षेत्र/संभाग के माध्यम से प्रसारित करने या पते पर प्रेषित करने से पूर्व सूचना (नोटिस) ठीस से प्रसारित की गई है, माना जायेगा तथा सूचना नहीं मिलने से बैठक प्रभावित नहीं होगी।

(एफ) साधारण सभा की कार्यवाही:

1. अभियंता संघ के कुल सदस्यों की कम से कम 20 प्रतिशत सदस्यों का, बैठक हेतु कोरम होगा।
2. घोषित समय के आधे घण्टे के अन्दर कोरम पूर्ण नहीं होने पर बैठक 15 दिन के बाद के किसी दिनांक तक स्थगित हो जावेगी। अध्यक्ष, महासचिव से सलाह करके इसे अधिसूचित करेंगे।
3. द्वितीय बैठक में आधे घण्टे में कोरम पूर्ण नहीं होने पर उपस्थित सदस्यों से कोरम निर्मित माना जायेगा।
4. समय शेष रहने पर एवं अध्यक्ष की अनुमति होने पर ही एजेन्डा से अतिरिक्त विषय पर चर्चा की जायेगी।
5. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्षता करेंगे।

(जी) अविश्वास प्रस्ताव:

साधारण सभा बैठक में उपस्थित सदस्यों में से दो तिहाई बहुमत से स्वीकार कर लिये जाने पर अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जायेगा। प्रस्ताव पारित होने पर उपस्थित सामान्य सभा, अध्यक्ष, महासचिव एवं कम से कम चार सदस्यों को चुनकर कार्यकारी केन्द्रीय कार्यकारिणी का चुनाव करेगा। कार्यकारी कार्यकारिणी शेष बचे हुए कार्यकाल में कार्य करेगी तथा संविधान नियमावली के अनुसार चुनाव करायेगी एवं अन्यथा बचे हुए कार्यकाल हेतु नई केन्द्रीय कार्यकारिणी के गठन हेतु 45 दिनों के अन्दर चुनाव करायेगी। यह प्रक्रिया अध्यक्ष, महासचिव, वित्त सचिव एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यकारिणी के अविश्वास प्रस्ताव पर इसी तरह लागू होगी।

(एच)क्षेत्रों की साधारण सभा का, साधारण सभा की ही भांति गठन होगा तथा उनका कार्यक्षेत्र उक्त क्षेत्रों तक सीमित होगा।

(आई) पंजीकृत नियमों के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा साधारण की बैठक नहीं बुलाने पर पंजीयक फर्म्स वं संस्थायें एजेन्डा सहित साधारण सभा की बैठक बुलायेंगे।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य:

(ए) जाने वाले महासचिव/महासचिव द्वारा अभियंता संघ की वार्षिक कार्यप्रणाली/कार्यवाही/प्रगति प्रतिवेदन की रिपोर्ट को प्राप्त करना एवं स्वीकार करना।

(बी) शपथ ग्रहण समारोह में अनुपस्थित निर्वाचित सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलाना।

(सी) तकनीकी, व्यवसायिक, प्रबंधन, विद्युत मंडल की कार्यप्रणाली एवं नीति आदि विषयों पर प्रस्तुत किये गये निबंधों/विषयों को स्वीकार करना।

(डी) एजेन्डा के अनुसार प्रस्तुत सुझावों/प्रस्तावों को स्वीकार करना एवं पारित करना।

(ई) केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा दो तिहाई बहुमत से प्रस्तावित सदस्य अथवा पूर्व सदस्य द्वारा किये गये विशेष एवं असाधारण कार्यों/योगदान के सम्मान के प्रस्ताव को स्वीकार करना एवं तदनुसार सम्मान करना।

(एफ)नियमावली के संशोधन को केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित एवं प्रस्तावित किये जाने पर स्वीकार करना।

(जी)अन्य विषय जिसे लिखित में बैठक प्रारंभ होने के पूर्व प्रस्तुत किया जाए तथा अध्यक्ष द्वारा अनुमति प्रदान करने के पश्चात प्रस्तुत होने पर चर्चा करना।

12. गठन :

सदस्य जिनके नाम पंजी में दर्ज हो तथा जो मतदाता की रखते हैं, बहुमत के आधार पर चुनाव प्रक्रिया के तहत् निम्न पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे।

12–1 क्षेत्रीय कार्यकारणी

- क्षेत्रीय अध्यक्ष 01
- क्षेत्रीय सचिव 01
- क्षेत्रीय वित्त सचिव 01
- क्षेत्रीय प्रतिनिधि ....नियम अनुसार
- क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य 03

क्षेत्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य में से मनोनीत किए जाएगे

12–2 केन्द्रीय कार्यकारिणी

- अध्यक्ष 01
- महासचिव 01
- वित्त सचिव 01
- कार्यकारिणी 18

इसके अलावा कंपनी के सेवानिवृत्त अभियंताओं में से 02 सदस्य केन्द्रीय कार्यकारिणी में मनोनीत किये जायेंगे और मनोनीत करने का अधिकार सेवानिवृत्त अभियंता संघ के सदस्यों को रहेगा।

दो उपाध्यक्ष, एक संगठन सचिव, एक संयुक्त सचिव (वित्त), एक संयुक्त सचिव सचिव (प्रचार), निर्वाचित कंन्द्रीय कार्यकारिणी कें अठारह सदस्सों में से मनोनीत किए जाएगे (चुनाव नियम एवं प्रकिया संलग्न पृष्ट कमांक 21)

13. कार्यकाल :

13.1 संभागीय शाखा का कार्यकाल तीन वित्त वर्ष (अप्रैल–मार्च) होगा

13.2 क्षेत्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वित्तीय वर्ष (अप्रैल–मार्च) होगा

13.3 केन्द्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वित्तीय वर्ष (अप्रैल–मार्च) होगा

13.4 यथेष्ठ कारण होने पर जब तक कि कोई भी नई कार्यकारिणी का गठन नियमानुसार या अन्य कारणों से नही हो जाता पुरानी कार्यकारिणी कार्य करती रहेगी किन्तू उक्त अवधि 12 माह से अधिक नही होगी एवं इसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14 अधिकार एवं कर्तव्य :

14.1 केन्द्रीय कार्यकारिणी

14.1.1 कार्यकारिणी विभिन्न विषयों पर चर्चा करेगी। मार्गदर्शक सिद्रान्त निर्माण करेगी। अभियंता संघ के कार्यकलाप/नियम एवं आचरण का निर्माण करेगी। मांग पत्र तैयार करेगी। मांग पत्र तैयार करेगी। अभियंता संघ के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति की व्यवस्था करेगी।

14.1.2 चालू सत्र हेतु बजट बनायेगी। पूर्व वर्ष का आय–व्यय लेखा बनाकर साधारण सभा को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। वार्षिक सम्मेलन हेतु महासचिव की रिपोर्ट को अन्तिम रूप देगी।

14.1.3 अंकेक्षक द्वारा वार्षिक लेखा में बताये गये बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करेगी। सुधारात्मक कदम उठायेगी एवं साधारण को वास्तविक स्थिति की सूचना देगी।

14.1.4 आवश्यकतानुसार वैतनिक कर्मचारी की नियुक्ति एवं सेवा समाप्ति कर सकेगी।

14.1.5 मध्यावधि में उपाध्यक्ष, संगठन सचिव,संयुक्त सचिव (वित्त), संयुक्त सचिव प्रचार के पद रिक्त होने पर कार्यकारिणी के कहने पर अध्यक्ष, महासचिव की सलाह पर सीधे चुने गये केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों में से रिक्त पदों की पूर्ति कर सकेंगे।

14.1.6 कार्यकारिणी अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि विघुत मंडल, सरकार अथवा अन्य सम्बंधित पक्षों से किसी भी आवश्यक विषय पर चर्चा कर सकेगें।

14.1.7 कार्यकारिणी स्थायी कोष बना सकेगी, निवेश कर सकेगी, प्रशासनिक एवं अन्य खर्चो अथवा मानवीय आवश्यकताओं पर खर्च कर सकेगी।

14.1.8 संविधान संशोधन की अनुशंसा कर सकेगी एवं साधारण सभा द्वारा दो तिहाई मतों से पास किये जाने पर प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

14.1.9 अधिसूचित बैंक/पोस्ट ऑफिस में लेखा खोल सकेगी तथा संचालित कर सकेगी।

14.1.10 उप–समितियों का निर्माण कर सकने की एवं उन्हें आवश्यक विषयों पर चर्चा अनुशंसा का अधिकार दे सकेगी। ये अधिकार उप समिति के विषय क्षेत्र तक सीमित होगा।

14.1.11 कार्यकारिणी के पदाधिकारी को पदाधिकारी से मुक्त कर सकेगी परन्तु वह कार्यकारिणी का सदस्य बना रहेगा।

14.1.12 कार्यकारिणी के निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु मुख्यालय के पदाधिकारी एवं सदस्य, अध्यक्ष एवं महासचिव को सहयोग करेंगे।

14.1.13 समस्त चल–अचल सम्पति अभियंता संघ के नाम से रहेगी। कार्यकारिणी चल–अचल सम्पति पर लगने वाले कर का भुगतान करेगी।

14.1.14 अभियंता संघ कोई भी स्थायी सम्पति पंजीयक की अनुमति के बिना विक्रय/अर्जित/अंतरित नहीं कर सकेगा।

14.2 क्षेत्रीय कार्यकारिणी :

14.2.1 केन्द्रीय कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य के अनुरूप क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यकारिणी, अभियंता संघ के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति हेतु कार्य करेगी।

14.2.2 केन्द्रीय कार्यकारिणी के दिशा निर्देश एवं अभियंता संघ के मार्गदशक सिध्दांतो के परिपालनार्थ नियमावली के अनुसार क्षेत्र में अभियंता संघ की गतिविधियां संचालित करेगी।

14.2.3 ऐसे समस्त विषय जो कि सामान्य सदस्य की जानकारी एवं हित हेतु आवश्यक होगें, के विषय में क्षेत्र की साधारण सभा को अवगत करायेगी।

15. अध्यक्ष के अधिकार :

15.1 अभियंता संघ के समस्त कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण होगा। वह सामान्य सभा/वार्षिक अधिवेशन/केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

15.2 आवश्यक होने पर अपने अधिकार उपाध्यक्ष को देगा।

15.3 समय–समय पर कार्य सूची तैयार करने, बैठक आयोजित करने अभियंता संघ की गतिविधियां संचालित करने महासचिव को सलाह देगा।

15.4 उसे केवल अभियंता संघ की सामान्य सभा पदच्युत कर सकेगी।

15.5 उसका मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

G.S.

15.6 क्षेत्रीय अध्यक्ष

15.6.1 क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत अभियंता संघ पर सामान्य नियंत्रण के साथ क्षेत्रीय बैठकों को अध्यक्षता करेगा।

15.6.2 क्षेत्रीय सचिव को अभियंता संघ की गतिविधियां संचालित करने, बैठक आयोजित करने सलाह देगा।

15.6.3 उसका मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

16 उपाध्यक्ष के अधिकार :

16.1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

16.2 केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा पदच्युत किया जा सकेगा।

16.3 जब अध्यक्ष की तरह कार्य कर रहा होगा तब केवल सामान्य सभा द्वारा पदच्युत किया जा सकेगा।

16.4 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष :

क्षेत्रीय उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में क्षेत्रीय अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. महासचिव के अधिकार :

17.1 महासचिव अभियंता संघ की नीतियों एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिध्दांतों तथा अध्यक्ष की सलाह अनुसार कार्य करेगा। वह अभियंता संघ का मुख्य कार्यकारी होगा। वह मुख्यालय में रहेगा। मुख्यालय के बाहर के सदस्य का निर्वाचन महासचिव के पद पर होने पर उसके मुख्यालय में पदस्थापना हेतू प्रयास किए जाएगे।

17.2 संगठन, वित्त, प्रचार के अतिरिक्त समस्त कार्यवाहियों को स्वीकृत करके उनका निराकरण करेगा।

17.3 अभियंता संघ की समस्त बैठक आयोजित करेगा तथा उनकी कार्यवाही पंजी में दर्ज करेगा।

17.4 अध्यक्ष की सलाह से केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करेगा।

17.5 अध्यक्ष की नितियों एवं मार्गदर्शक सिध्दान्तों के अनुरूप अभियंता संघ के प्रतिनिधि के लिए हस्ताक्षरित करने एवं प्रतिनिधत्व करने का अधिकार होगा। सम्बंधित सामान्य सदस्य को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में आमंत्रित कर सकेगा।

17.6 वह 1000,00 रूपये के स्थायी अग्रधन की संचालित करेगा उसे 500.00 रूपये तक के बिल पास करने एवं भुगतान करने का अधिकार होगा। उससे अधिक के बिल या खर्च अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एवं अनुमोदित किये जायेगें। बड़े खर्चे केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित किये जायेगें।

17.7 वह अभियंता संघ की सामान्य सभा द्वारा पदच्युत किया जा सकेगा।

17.8 क्षेत्रीय सचिव के अधिकार :

अ. केन्द्रीय कार्यकारिणी में महासचिव के अधिकार के अनुरूप क्षेत्रीय कार्यकारिणी में क्षेत्रीय सचिव अपने क्षेत्र की सीमा के अन्र्तगत अपने अधिकारों को संचालित करेगा।

आ. अभियंता संघ की बैठक आयोजित करेगा। क्षेत्र में अभियंता संघ की गतिविधियों को संचालित करेगा।

17.9 क्षेत्रीय प्रतिनिधि के अधिकार :

अ. केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्षेत्रीय सचिव के साथ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा।

आ. क्षेत्रीय सचिव एवं क्षेत्रीय कार्यकारिणी की सहायता करेगी।

17.10 संगठन सचिव के अधिकार :

अ. अभियंता संघ के संगठन कार्य संचालित करेगा।

आ. महासचिव की सहायता करेगा एवं अनुपस्थित में उसका कार्यभार महासचिव/केन्द्रीय कार्यकारिणी की सलाह से देखेगा।

इ. पत्र सदस्यों की सदस्यता जाँच इत्यादि हेतु निर्वाचन मंडल की सहायता करेगा।

ई. नये सदस्यों का पंजीयन,उनके पते, पदस्थापना वेनेवोलेन्ट ट्रस्ट की जानकारी संभाग, क्षेत्र सभी की गतिविधियों को संचालित करेगा।

उ. केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा पदच्युत किया जायेगा।

17.11 संयुक्त सचिव (प्रचार) के अधिकार :

अ. लोक संबंध, प्रचार, प्रसार के साथ–साथ महासचिव एवं संगठन सचिव के साथ–साथ कार्य करेगा।

आ. सम्पादकीय मंडल का संयोजक होगा। वह बुलेटिन/प्रेस विज्ञाप्ति/स्मारिका/प्रेस कांफ्रेंस आयोजित करने हेतु कार्य करेगा।

17.12 कार्यकारिणी सदस्य :

केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यकारिणी के सदस्य समस्त विषयों में कार्यकारिणी के निर्णय एवं मार्गदर्शक सिध्दान्तों के अनुरूप कार्य करेगें।

18 वित्त सचिव के अधिकार :

अ. अभियंता संघ के वित्त का संरक्षक होगा, अभियंता संघ की समस्त चल–अचल सम्पति की सुरक्षा हेतु जिम्मेदार होगा।

आ. बैंक खाता,खाता पंजी एवं सम्बंधित रिकार्डो का लेख–जोखा तथा वित्त के संचालन पर ध्यान देगा।

इ. संयुक्त सचिव (वित्त) अथवा केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा अधिकृत किसी अन्य सदस्य के साथ संयुक्त रूप से बैंक खाता संचालित करेगा।

ई. महासचिव / अध्यक्ष / अधिकृत सदस्य के अनुमोदन के पश्चात् ही भुगतान हो इसे सुनिश्चित करेगा। पैसा का लेन–देन अभियंता संघ की वैध रसीद के माध्यम से ही होगा। समस्त भुगतान नियमावली एवं आवश्यक निर्णयों के पश्चात् हो ऐसा सुनिश्चित करेगा।

उ. केन्द्रीय कार्यकारिणी के लिए आय–व्यय की लेखा रिपोर्ट तैयार करेगा। प्रस्तुत करेगा। सामान्य सभा के अनुमोदन हेतु केन्द्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

ऊ. वार्षिक आय–व्यय वितरण तैयार करेगा। बेलेन्ट शीट तैयार करेगा तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से अंकेक्षण करवायेगा।

ए. समस्त आय–व्यय वितरण माँगे जाने पर केन्द्रीय कार्यकारिणी / अंकेक्षक को उपलब्ध करायेगा।

ऐ. अंकेक्षित आय–व्यय प्रकाशन हेतु केन्द्रीय कार्यकारिणी को प्रदान करेगा।

ओ. सभी विषयों में केन्द्रीय कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार कार्य करेगा।

औ. सदस्यता शुल्क इत्यादि से संबंधित रिकार्ड हेतु निर्वाचन मंडल की सहायता करेगा।

अं. अगले सत्र मं अपने सत्र के आय--व्यय के विवरण की अंकेक्षण करवाने की जिम्मेदारी होगी।

अः. केवल साधारण सभा द्वारा पदच्युत किया जा सकेगा।

18.1 संयुक्त सचिव (वित्त) के अधिकार :

अ. समस्त गतिविधियों में वित्त सचिव की सहायता करेगा।

आ. वित्त सचिव की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार देखेगा।

इ. पद रिक्त होने पर केन्द्रीय कार्यकारिणी के निर्णय पर वित्त सचिव का कार्यभार ग्रहण करेगा तथा नई पदस्थापना होने तक संपूर्ण अधिकार एवं कर्त्तव्य का वहन करेगा।

ई. केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा केवल संयुक्त सचिव (वित्त) के पद से पदच्युत किया जा सकेगा।

18.2 क्षेत्रीय वित्त सचिव :

सचिव (वित्त) के अधिकार के अनुरूप क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत वित्त संबंधी समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

19. बैंक खाताः

19.1 राजस्व एवं लेखा

19.2 राजस्व के स्त्रोत

अ. प्रवेश शुल्क एवं सदस्यों की सदस्यता राशि के द्वारा।

आ. दान/सहायता के द्वारा।

इ. नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय कार्यकारिणी से अनुमोदित किसी अन्य स्त्रोत से।

19.3 अभियंता संघ का कोष अधिसूचित बैंक/पोस्ट आफिस में जमा किया जायेगा। सचिव वित्त एवं संयुक्त सचिव (वित्त) अथवा केन्द्रीय कार्यकारिणी/क्षेत्रीय कार्यकारिणी द्वारा अधिकृत किसी सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से पैसा बैंक/पोस्ट ऑफिस से निकाला जा सकेगा।

19.4 अभियंता संघ के अनुमोदन के बिना कोई भी धन एकत्रित नहीं किया जायेगा।

19.5 पंजीयन शुल्क/सदस्यता शुल्क इत्यादि का 10 प्रतिशत रिजर्व फण्ड के रूप में बैंक/पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपाजिट किया जायेगा। इस फण्ड को फण्ड को जमा करने तथा इसमें से निकालने का निर्णय केन्द्रीय कार्यकारिणी लेगी।

19.6 केन्द्रीय कार्यकारिणी, अध्यक्ष महासचिव किसी सदस्य को किसी विशेष प्रयोजन हेतु अग्रिम राशि स्वीकृत करने हेतु अधिकृत हैं। इस सदस्य को एक माह के अन्दर इस अग्रिम के व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा अग्रिम राशि वापिस करना होगी।

19.7 अभियंता संघ हेतु शुल्क एवं अन्य राशि एकत्रित करने के लिए क्षेत्रीय सचिव एवं संभागीय प्रतिनिधि अधिकृत होगें। केन्द्रीय कार्यकारिणी इसे केन्द्रीयकृत कर सकेगी।

19.8 प्रत्येक वर्ष 30 जून को क्षेत्र की पात्र सदस्य संख्या के आचार पर केन्द्रीय कार्यकारिणी उस क्षेत्र को 25.00 रूपये प्रति पात्र सदस्य के हिसाब से वार्षिक सहायता देगी। इस हेतु क्षेत्रीय सचिव 30 जून को पात्र सदस्यों की सूची वित्त सचिव को प्रस्तुत करेंगे। इसमें से सुविधाजनक कुछ सहायता क्षेत्र संभागीय शाखाओं को देगा।

19.9 केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठकों हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों का यात्रा भुगतान क्षेत्रीय कार्यकारिणी करेगी। उक्त बैठकों हेतु केन्द्रीय पदाधिकारियों और केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का यात्रा भुगतान केन्द्रीय कार्यकारिणी करेगी।

20. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :

फर्म्स एवं संस्थाएं के अधिनियम की धारा 27 के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर केन्द्रीय कार्यकारिणी की सूची फाइल की जावेगी।

ऐसी समस्य जानकारियों जो आवश्यक हो एवं परीक्षित लेखा मय शुल्क के साथ धारा 28 के अन्तर्गत भेजी जाएगी।

21 संशोधन :

21.1 केन्द्रीय कार्यकारिणी अपनी कुल सदस्य संख्या के 3/4 सदस्य संख्या के बहुमत से नियमावली में संशोधन करेगी।

21.2 साधारण सभा 2/3 सदस्य संख्या के बहुमत से नियमावली में संशोधन करेगी।

21.3 नियमावली में संशोधन की आवश्यकता होने पर महासचिव सभी संभागीय शाखाओं/ क्षेत्रों में संशोधन प्रस्ताव प्रेषित करेंगें। अथवा संशोधन प्रस्ताव क्षेत्र के क्षेत्रीय सचिव भी सभी को एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी को प्रेषित कर सकेंगे। ऐसे प्रस्ताव कुल क्षेत्र के आधे क्षेत्र या अधिक की साधारण सभा में 2/3 बहुमत से पारित होने पर प्रत्येक क्षेत्र द्वारा लिखित में केन्द्रीय कार्यकारिणी भेंजे जायेंगे।

21.4 नियम 21.1 या 21.2 या 21.3 द्वारा संशोधन पारित होने पर 45 दिनों के भीतर पारित संशोधन मय नियत शुल्क के पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को प्रस्तुत होगा।

21.5 आवश्यकता होने पर पंजीयक फर्म्स एंव संस्थाएं को भी संशोधन का अधिकार होगा। जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

22 विघटन :

21.1 संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 90 प्रतिशत मतो से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

21.2 पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का निष्कासनः–

अ. किसी पदाधिकारी द्वारा अपने कर्त्तव्यों को संतोषजनक ढंग से पूरा न करने, लापरवाही करने पर कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकारिणी के कुल सदस्यों के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति में चर्चा के पश्चात् 2/3

बहुमत से पारित होने पर पदाधिकारी का पद से निष्कासन किया जायेगा एवं उसी बैठक में दूसरा पदाधिकारी चुन लिया जायेगा।

आ. अध्यक्ष, महासचिव, वित्त सचिव एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी के चुन गये सदस्य अभियंता संघ की साधारण सभा द्वारा निकाले जा सकेगें।

इ. सूचना प्राप्त होने के पश्चात् भी लगातार 4 अथवा कुल 6 कार्यकारिणी बैठक में अनुपस्थित होने वाले सदस्य को केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यता से निष्कासित कर सकेगी।

इ. सदस्य का रिक्त पद, चुनाव में अगला अधिकतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार से अध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

22.3 सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही :

केन्द्रीय कार्यकारिणी की जानकारी मे लाये जाने पर कि सदस्य का आचरण अभियंता संघ के सिद्धान्त एवं हित के विरूद्ध है अथवा वह अभियंता संघ के नियमों की अवहेलना कर रहा है, केन्द्रीय कार्यकारिणी अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी।

ऐसे सदस्य को लिखित स्पष्टीकरण देने या केन्द्रीय कार्यकारिणी के समक्ष उपस्थित होने का अवसर दिया जावेगा।

स्पटीकरण असंतोष जनक होने पर केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय लिए जाने पर, केन्द्रीय कार्यकारिणी उचित समझने पर उस सदस्य की निन्दा कर सकेगी, अथवा उस सदस्य को एक सीमित अवधि जो कि अधिकतम उस कार्यकारिणी के कार्यकाल तक होगी, हेतु निष्कासित कर सकेगी।

23. सम्पत्ति :

अ. अभियंता संघ का कोई भी सदस्य अथवा पदाधिकारी अभियंता संघ के किसी भी ऋण, समझौते हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होगा जब तक कि निश्चित न हो जाए कि उसने जानबूझकर गलत कृत्य किया है अथवा उसने कोई बेईमानी या भ्रष्ट आचरण किया है

आ. अभियंता संघ का कोष एवं सम्पत्ति पूर्णयता अभियंता संघ के रख रखाव, विकास एवं सुधार हेतु काम में आयेगा एवं इसका कोई भी भाग किसी सदस्य को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

इ. संस्था की समस्त चल एवं अचल संपत्ति अभियंता संघ के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क अभियंता संघ द्वारा जमा किया जावेगा।

24. बैंक खाता/आय–व्यय का अंकेक्षण :

24.1 पूर्व सत्र के आय–व्यय के अंकेक्षण हेतु नवीन कार्यकारिणी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा आडटीर की नियुक्ति करेगी। वे अपनी रिपोर्ट महासचिव को प्रस्तुत करेंगे।

24.2 संभागीय एवं क्षेत्रीय कार्यकाारिणी के आय–व्यय के अंकेक्षण हेतु एक सदस्य नामजद किया जायेगा। वह केन्द्रीय कार्यकाारिणी के निर्णयानुसार वर्ष में एक बार क्षेत्रीय वित्त सचिव अथवा संभागीय शाखा द्वारा तैयार किये गये आय--व्यय को आडिट करेगा एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी को रिपोर्ट प्रस्तुतः करेगा।

24.3 महासचिव अंकेक्षक महोदय को किसी भी लेखा अथवा रिकार्ड का अवलोकन/जॉच करने हेतु एक या अधिक बार करेंगे।

24.4 क्षेत्रीय वित्त सचिव/क्षेत्रीय सचिव, क्षेत्र के आय–व्यय का ब्यौरा क्षेत्रीय कार्यकारिणी से अनुमोदित करवाकर, कार्यकारिणी की कार्यावधि समाप्ति के 60 दिनों के अन्दर केन्द्रीय कार्यकारिणी को प्रेषित करेगें।

25 पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :

अभियंता संघ की पंजीयन नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

26 विवाद :

समस्त विवाद जो केन्द्रीय कार्यकारिणी से भी सुलझाएं नहीं जा सकेगें, अध्यक्ष साधारण सभा अनुमति से सुलझायेंगे।

विवाद जो इस प्रक्रिया से नहीं सुलझेंगे, तब प्रस्तुत किये जाने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

!! इति शुभम् !

चुनाव नियम एवं प्रक्रिया

1. **चुनाव.**

क्षेत्रीय कार्यकारिणी एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी के चुनाव गुप्त मतदान प्रक्रिया से होंगे।

2. **योग्यता**

अभियंता संघ के प्रत्येक सदस्य को मतदान करने एवं चुनाव हेतु उम्मीद्वार बनने का निम्नानुसार अधिकार होगा।

2–अ. मतदाता

चुनाव वर्ष में 31 दिसम्बर तक समस्त शुल्क जमा करने वाले पात्र मतदाताओं की सूची संगठन सचिव द्वारा तैयार की जाएगी जो अभियंता संघ के सदस्य है वो मतदाता होंगे।

2–आ. उम्मीद्वार

1. समस्त पात्र मतदाता केंद्रीय कार्यकारिणी / क्षेत्रीय कार्यकारिणी / संभागीय शाखा के उमीदवार होने की पात्रता रखेंगे।
2. परन्तु जो सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनीज से सक्रिय किसी भी अन्य संगठन / संघ का पदाधिकारी होगा वह संघ में चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा। और न ही अभियंता संघ में किसी पद पर रह सकेगा।
3. अभियंता संघ के अध्यक्ष / महासचिव / वित्त सचिव एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्य को चुनाव लड़ने के लिए कमशः 20000 रूपये / रूपये 20000 / 15000 रूपये एवं 5000 रूपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। यह राशि अध्यक्ष, महासचिव और वित्त सचिव हेतु कुल प्राप्त वैध मतों के न्यूनतम 15 प्रतिशत और केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य हेतु न्यूनतम 25 प्रतिशत प्राप्त करने की स्थिति में ही वापसी योग्य होगी।
4. संघ के अध्यक्ष महासचिव एवं वित्त सचिव पद हेतु इच्छुक प्रत्याशियों का विद्युत कंपनियों में कार्यकाल, चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना की तिथि से कम से कम तीन वर्ष शेष होना चाहिए।

3. **निर्वाचन मंडल / अपीलीय मंडल**

3–अ. निर्वाचन मंडल

किसी भी अगले सत्र के अभियंता संघ के चुनाव के लिए, केन्द्रीय कार्यकारिणी सामान्यतः मुख्य निर्वाचन संगठन सचिव तथा वित्त सचिव चुनाव हेतु सदस्यों की पात्रता सूची निर्माण में निर्वाचन मंडल को सहयोग करेंगे। निर्वाचन मंडल / पर्यवेक्षक को चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं रहेगी। अधिकारी को मिलाकर एक पांच सदस्यीय निर्वाचन मंडल की नियुक्ति करेगा। निर्वाचन मंडल प्रत्येक क्षेत्र हेतु एक प्रमुख सहित तीन सदस्यीय क्षेत्रीय निर्वाचन मंडल की नियुक्ति करेगा। क्षेत्रीय निर्वाचन मंडल क्षेत्रीय कार्यकारिणी एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी के चुनाव हेतु निर्वाचन कर सकेगा।

3–आ. अपीलीय मंडल

केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक में एक प्रमुख सहित तीन सदस्यीय अपीलीय मंडल की नियुक्ति करेगा। अपीलीय मंडल मतदाता तथा उम्मीद्वार द्वारा चुनाव प्रक्रिया / परिणाम में हुई अनियमितता / कमी इत्यादि के संबंध में शिकायतों / कठिनाईयों को सुनकर नियमावली के

अनुसार यथोचित निर्णय प्रदान करेंगे, जो कि सभी मान्य करेंगे। निर्वाचन मंडल भी आवश्यक होने पर प्रकरणों को निर्णय हेतु अपीलीय मंडल को प्रेषित/अनुशंसित कर सकेगा। अपीलीय मंडल निर्णय बहुमत की राय से देगा

4 निर्वाचन कार्यक्रम

4–अ. चुनाव वर्ष में मुख्य चुनाव अधिकारी 26 जनवरी को या उसके पहले, चुनाव का दिनांकित कार्यक्रम के साथ नामजदगी हेतु अधिसुचना जारी दिनांक से स्पष्ट 10 दिन की समयावधि के साथ प्रसारित करेगा एवं व्यापक प्रचारित करेगा। इस सम्बंध में प्रेस विज्ञापित भी दे सकेगा।

4–आ. चुनाव कार्यक्रम इस तरह निर्धारित किया जायेगा ताकि 25 मार्च के पहले चुनाव परिणाम घोषित हो सकेगें।

4–इ. क्षेत्रीय चुनाव, केन्द्रीय कार्यकारिणी के चुनाव के बाद आयोजित होंगे। और इसका चुनाव क्षेत्रीय स्तर पर किया जायेगा।

4–ई. नामांकन

पात्र सदस्य जो चुनाव में एक या अधिक पद हेतु उम्मीद्वार बनना चाहेंगे नामजदगी हेतु अपना/अपने नामांकन निर्धारित बायोडाटा के साथ जमा करेंगे।

4–उ. नामांकन/नामांकनों का निरस्तीकरण

1. उम्मीद्वार केवल एक पद हेतु चुनाव में भाग ले सकेगा। एक से अधिक जमा किए गए नामांकन, नाम वापसी अन्तिम तिथि के पूर्व एक नामांकन को छोड़कर वापसी लेने होंगे अन्यथा समस्त नामांकन निरस्त किये जायेगें।
2. कोई भी पात्र सदस्य किसी एक पद हेतु किसी एक उम्मीद्वार को प्रस्तावित अथवा समर्थन कर सकेगा,एक निर्वाचित पद हेतु एक से अधिक उम्मीद्वार का प्रस्ताव या सर्मथन करने से उन समस्त उम्मीद्वारों के नामांकन निरस्त कर दिये जायेंगे। केन्द्रीय कार्यकारिणी हेतु अधिकतम 18 सदस्य तथा क्षेत्रीय कार्यकारिणी हेतु अधिकतम 4 सदस्य का प्रस्ताव या समर्थन कर सकेगा, उससे अधिक होने पर समस्त नामांकन निरस्त कर दिये जायेगें। प्रस्तावक या समर्थक को मतदान की पात्रता होना आवश्यकता होगा।

4–ऊ. नामांकन वापिसी

1. नामांकन पत्र की जाँच के तुरन्त बाद वैध उम्मीदवारों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी जारी करेंगे तथा नाम वापिसी हेतु नामांकन प्राप्ति के अन्तिम दिन से स्पष्ट 07 दिवसों का समय दिया जायेगा।
2. नाम वापिसी के 07 दिवसों के अन्दर मतपत्र मय चुनाव कार्यक्रम, बायोडाटा, पहचानपर्ची एक बड़ा लिफाफा (पता सहित) मतदाता। क्षेत्रीय चुनाव अधिकारी को सौंपे जायेगें।

4–ए. चुनाव अवधि

अभियंता संघ/संघों के कार्यालय/कार्यलयों में मुहरबंद मतदान पेटी स्थापना के बाद, मतदान हेतु स्पष्ट 07 दिन का समय दिया जावेगा। मुख्यालय/क्षेत्रीय मुख्यालयों में सामूहिक मतदान हेतु दिवस तदनुसार निर्धारित किये जायेगें।

4–ए. चुनाव परिणाम

नियमानुसार गणना करके 25 मार्च के पूर्व चुनाव परिणाम घोषित किये जायेगें।

4–ओं. नामांकन पत्र एवं बायोडाटा

नामांकन निम्न पदों हेतु आमंत्रित किये जायेगें–

1. केन्द्रीय कार्यकारिणी –

- अध्यक्ष .... एक
- महासचिव .... एक
- वित्त सचिव .... एक
- कार्यकारिणी सदस्य .... अठारह

2. क्षेत्रीय कार्यकारिणी –

- क्षेत्रीय अध्यक्ष .... एक
- क्षेत्रीय महासचिव .... एक
- क्षेत्रीय वित्त सचिव .... एक
- क्षेत्रीय प्रतिनिधि .... नियमानुसार
- क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य .... चार

3. नामांकन पत्र

1. कार्यकारिणी का नाम :
(केन्द्रीय / क्षेत्रीय)
2. पद का नाम :
3. उम्मीद्वार का नाम :
4. पदस्थापना स्थान एवं पता :
5. अभियंता संघ का क्षेत्र :
6. प्रस्तावक का नाम :
7. प्रस्तावक की पदस्थापना स्थान व पता :
8. प्रस्तावक के हस्ताक्षर :
9. समर्थक का नाम :
10. समर्थक की पदस्थापना स्थान एवं पता ::
11. समर्थक के हस्ताक्षर :

उपरोक्त नामांकन पत्र जो उपरोक्तनुसार प्रस्ताव एवं सर्मथन किये गये हैं, मेरी अनुमति से भरा गया है। अधोहस्ताक्षरकर्ता उम्मीदवार हेतु तथा प्रस्तावक / समर्थक मतदाता हेतु नियमावली के अनुसार पात्रता रखते हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

(उम्मीदवार का नाम)

4. बायोडाटा

प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ अधिकतम 75 शब्दों में निम्न जानकारियों के साथ उम्मीदवार अपना बायोडाटा प्रकाशन हेतु जमा करेंगे। बड़ा बायोडाटा होने पर निर्वाचन मंडल उसे आवश्यकतानुसार सही आकार दे सकेगा। मंडल में वर्तमान पद का नाम तथा पदस्थापना का स्थान, वर्ष सहित अभियंता संघ के पद, एवं अभियंता संघ में योगदान।

5. चुनाव आचार संहिता

प्रत्येक सदस्य को निम्न आचार संहिता का पालन करना होगा।

5–अ. अभियंता संघ द्वारा अभियंताओं के आचरण, निष्ठा एवं प्रतिबध्दता के लिए बनाये गये उच्च आदर्शों को कायम करना।

5–आ. प्रजातांत्रिक सिध्दान्तों से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपादित करना।

5–इ. चुनाव प्रक्रिया से किसी भी प्रकार के वर्ग भेद या कदाचरण को नहीं बढ़ने देना। अभियंता संघ अथवा विद्युत मंडल में अपने पद का दुरूपयोग चुनाव हेतु नहीं करना।

5–उ. चुनाव की पंवित्रता अक्षुण्ण रखना।

6 मतदाता सूची

मतदाता हेतु निम्न विवरण के साथ पंजी तैयार की जावेगी–

नाम :

पदनाम :

वर्तमान डाक का पता :

अभियंता संघ का क्षेत्र :

पंजीयन क्रंमाक :

आजीवन सदस्यता क्रमांक :

टिप्पणी :

7. जिन सदस्यों ने समस्त शुल्कों का भुगतान 31 दिसम्बर तक कर दिया है उन्ही सदस्यों का नाम मतदाता सूची में रहेगा। संगठन सचिव के सूचना के आधार पर मुख्य चुनाव अधिकारी अंतरिम मतदाता सूची तैयार करेगा अगर किसी कारण वश किसी पात्र सदस्य का नाम मतदाता सूची में छूट जाता है तो सदस्य अपना **Original Member ship** (सदस्यता) रसीद दिखाकर अपना मत (वोट) डाल सकता है।

8. प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी एवं कर्तव्य है, कि समय–समय पर अपने बारे में नवीनतम व्यक्तिगत जानकारियों से क्षेत्रीय सचिव तथा संगठन सचिव को अवगत कराते रहेंगे।

9. पात्र मतदाता सूची के बारे में भ्रम अथवा किसी भी विवाद की स्थिति में पंजीयन /आजीवन सदस्यता इत्यादि की मूल पंजी को संदर्भ हेतु आधार दस्तावेज माना जायेगा।

10. मतपत्र

10–अ. मतपत्र, निर्वाचन मंडल के निर्देशन/मार्गदर्शन में मुद्रित किये जायेगें तथा प्रत्येक पद की वैध नामांकन सूची जिसका मुद्रण होगा में निर्वाचन मंडल के किसी एक सदस्य के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होंगे।

10–आ. मुहरबंद मतपेटी की मुख्यालय/क्षेत्रों में स्थापना के पश्चात् चुनाव हेतु स्पष्ट 10 दिनों की समयावधि दी जायेगी एवं सभी चुनाव स्थानों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व से चुनाव हेतु दो तिथियां घोषित कर दी जायेगी। उन स्थानों पर वहाँ कार्यरत मतदाता अथवा वहाँ पहुँचे उस क्षेत्र के मतदाता उन तिथियों में स्वयं निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में मतदान कर सकेंगे। प्रथम तिथि में चुनाव के पश्चात् मुहरबंद मतपेटी की मतपत्र डालने वाली झिरी (स्थान) को उपस्थित अधिकारीयों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सील करके बंद कर दिया जायेगा। उपरोक्त प्रक्रिया द्वितीय तिथि में भी दोहराई जावेगी।

10–इ. द्वितीय मतदान तिथि के अगले दिन ऐसे समस्त मतदाताओं को क्षेत्रीय निर्वाचन मंडल/द्वारा नवीनतम पते पर मतपत्र प्रेषित किये जायेगें। नये पतो की अनुपलब्धता या किसी अन्य पोस्टल कारणों से विलम्ब/मतपत्र खो जाने पर निर्वाचन मंडल जिम्मेदार नहीं होगा।

10–ई द्वितीय मतदान तिथि से 7 दिनों के भीतर डाक से मतपत्र नहीं मिलने पर मतदाता लिखित में मतपत्र प्रदान करने हेतु अनुरोध भेजेंगे एवं क्षेत्रीय अधिकारी ऐसे अनुरोध प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर मतपत्र प्रेषित करेंगे।

10–उ. ऐसे मतदाताओं को अगले नम्बर वाली पहचान पर्ची के साथ मतदान पत्र, भेजा जायेगा। संलग्न पत्र में यह अंकित रहेगा कि पूर्व जारी किया गया मतपत्र अवैध होगा तथा अब द्वितीय जारी किया मतपत्र प्रेषित करेंगे।

10–ऊ. मतपत्र/द्वितीय मतपत्र जारी होने के समस्त विवरण निर्वाचन मंडल द्वारा पूरी जिम्मेदारी के साथ इन्द्राज किये जायेगें।

10–ए. मतपत्र पर मुख्य चुनाव अधिकारी की हस्ताक्षर सील एवं एक चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। मतपत्र के छोटे लिफाफे पर किसी तरह की नंबरिंग नही होगी।

10–ऐ. पहचानपर्ची पर मशीन द्वारा नंबरिंग होगी तथा उस पर मतदाता का नाम पता, हस्ताक्षर हेतु स्थान होगा, पर्ची पर ऊपर मुख्य चुनाव अधिकारी एवं चुनाव अधिकारी जिन्होंने मत पत्र पर हस्ताक्षर किया है, के अलावा केवल एक अन्य चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

अगर चुनाव समिति मत पत्रों की सुरक्षा एवं गणना की उद्देश्य से मतपत्रों पर किसी तरह की नंबरिंग करती है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतपत्रों और पिंक स्लिप पर इन्द्रज किए जाने वाले नंबर भिन्न–भिन्न श्रंखला क्रम में होंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि छोटे लिफाफे में डाले जाने वाले मतपत्र का नंबर और उसके साथ भेजे गए पिंक स्लिप का नंबर असंबद्ध (रेंडम) होगा।

10–ओ डाक मतपत्र के बाहरी लिफाफे के ऊपर मुख्य चुनाव अधिकारी का पता लिखा होगा।

10–औ. उम्मीदवारों के बायोडाटा, चुनाव की प्रक्रिया विधि एवं निर्धारित आचार संहिता का व्यापक प्रचार–प्रसार परिपत्र जारी कर वेबसाइट एवं मतदान केंद्र में डिस्प्ले आदि के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10–अं छोटे लिफाफे पर पहचान पर्ची चिपकी होगी, उस पर नाम,पद,वर्तमान पता क्षेत्र, हस्ताक्षर इत्यादि इन्द्राज करके प्रत्येक मतदाता,मतदान के पश्चात् मतपत्र को उसमें रखकर चिपकाकर बंद कर देगा एवं मतदाता स्वयं इसे मतपेटी में डालेगा। मतपत्रउ पर किसी तरह का निशान या हस्ताक्षर या अन्य पहचान चिन्ह पाये जाने पर मतपत्र अवैध हो जायेगा।

10–अः डाक मतपत्र को डाक मतदाता उपरोक्त छोटे लिफाफे को बड़े लिफाफे में रख कर जिस पर की मुख्य चुनाव अधिकारी का पता लिखा होगा सीधे पोस्ट करेंगे ताकि मतपत्र अंतिम तिथि के पूर्व अथवा अंतिम तिथि तक मुख्य चुनाव अधिकारी को प्राप्त हो जाये।

11. मतदान एवं गणना

11–अ. प्रत्येक मतदाता अपनी पसंद के उम्मीद्वार /उम्मीद्वार के नाम के सामने दिये गये स्थान में (X) क्रास का निशान लगाकर अपना मत देगा।

11–आ. जहां एक ही उम्मीद्वार का चुनाव होना हैं वहां उसी पद हेतु अगर एक से अधिक (X) क्रास का निषान पाये जायेंगे तो उस पद हेतु वह मत अवैध हो जायेगा। इसी तरह केन्द्रीय कार्यकारिणी जहां 18 सदस्य एवं क्षेत्रीय कार्यकारिणी जहां चार सदस्य चुने जाने है, मतपत्र में क्रमशः 18 एवं 04 से अधिक (X) क्रास का निशान पाये जाने पर वह मतपत्र अधिक पाये जाने वाले (X) क्रास का निशान के पद हेतु अवैध हो जायेगा।

11–इ. एक पद जिसके लिए दो उम्मीद्वार चुनाव में भाग ले रहे होगें जो उम्मीद्वार अधिकतम मत अर्जित करेगा वह विजेता घोषित होगा। इसी तरह सदस्य के चुनाव हेतु केन्द्रीय कार्यकारिणी एवं क्षेत्रीय कार्यकारिणी हेतु क्रमशः पहले अठारह एवं पहले चार अधिकतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीद्वार विजयी होंगे।

12. मतगणना व्यवस्था

12–अ. समस्त चुनाव स्थलों पर समस्त मुहरबंद मतपेटियों को चुनाव के तत्काल बाद 5:30 बजे उपस्थित निर्वाचन मंडल के सदस्य, उम्मीद्वार, प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोलकर मतपेटी में पाये जाने वाले लिफाफों की गणना की जावेगी। इसे रिकार्ड करके सभी उपस्थितों से हस्ताक्षर करवा लिये जायेंगे। समस्त लिफाफे एवं हस्ताक्षरित रिकार्ड को पुनः मतपेटी में डालकर मतपेटी को मुहरबंद कर दिया जायेगा एवं मत डालने वाली (स्थान) को सभी उपस्थिति की हस्ताक्षरित पेपर सील से बंद कर दिया जायेगा।

12–आ. पूर्ण सुरक्षा के साथ क्षेत्रीय चुनाव मंडल मुहरबंद मतपेटिया निर्धारित तिथि के पूर्व मतगणना स्थान (मुख्य निर्वाचन कार्यालय) पर पहुंचायेंगें।

12–इ. मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एकत्रित निर्वाचन मंडल, उम्मीद्वार, प्रतिनिधियों की उपस्थिति में समस्त मुहरों की जांच करके मतपेटियों को खोला जावेगा एवं लिफाफों की गणना एवं साथ में रखे गये रिकार्ड से मिलाया जायेगा।

12–ई. बाहरी लिफाफे को अलग करके पहचान पर्ची की जांच की जाएगी। पहचान पर्ची को मतपत्र वाले छोटे लिफाफे से अलग किया जाएगा। अधूरी जानकारी वाले लिफाफे अवैध माने जाएंगे। जिस मतदाता को द्वितीयक मत पत्र प्रेषित किया गया हो अगर उसका पहला मतपत्र प्राप्त होगा तो वह अवैध माना जाएगा।

12–उ. उपरोक्तनुसार पाये गये अवैध लिफाफें खोले नहीं जायेगें एवं इस अवैध लिफाफों की सूची तैयार की जावेगी एवं उस सूची में समस्त उपस्थित जन हस्ताक्षर करेंगें।

12– ऊ. . पहचान पर्ची से अलग किये गए वैध लिफाफों को 25–25 के बंडल बनाकर रखा जावेगा

12–ए. उपरोक्त संपूर्ण व्यवस्था में अत्यधिक समय व्यतीत हो जाने के कारण समस्त वैध लिफाफों को पुनः नियमानुसार मत पेटी के अन्दर रखकर मुहरबंद किया जा सकेगा।

12–ऐ. मतपेटी को नियमानुसार निर्धारित समय में सभी संबंधितों की उपस्थिति में खोला जाएगा।

12–ओ. एक–एक करके बंडलो को निर्वाचन मंडल द्वारा खोला जावेगा।

12–औ. एक सदस्य लिफाफा खोलेगा तथा मतपत्र दूसरे सदस्य को सौंप देगा।

12– अं. दूसरा सदस्य मतपत्र की वैधता देखकर उसमें हस्ताक्षर कर देगा।

12–अः. तीसरा सदस्य 25 मतपत्र के साथ गणना पत्रक लगाकर गणना दल को सौंप देगा।

12–क. गणना दल में दो सदस्य होंगे जो गणना पत्रक में निर्धारित नियम के अनुसार गणना के पश्चात् रिकार्ड दर्ज करेंगे।

12–ख. प्रथम गणना पत्रक एवं 25 मतपत्र निर्वाचन मंडल द्वारा गणना दल से वापिस लिए जायेगें तथा दूसरे रंग का गणना पत्रक लगाकर अन्य गणना दल को गणना हेतु सौंप दिये जायेंगें। प्रथम गणना पत्रक को निर्वाचन मंडल अपने पास रोक लेगा।

12–ग. दोनों गणनापत्रक का मिलान किया जायेगा। कोई त्रुटि पाने पर उसका निराकरण किया जायेगा। इस तरह प्राप्त गणना को निर्वाचन मंडल के सदस्य हस्ताक्षर करेंगे तथा प्राप्त मतों को परिणाम सूची में दर्ज करेंगें इसी के आधार पर निर्वाचन मंडल द्वारा उम्मीद्वारों को प्राप्त कुल मतों की घोषणा की जावेगी एवं समय – समय पर अंतरिम सूचना दी जा सकेगी।

12–घ. मतगणना निर्वाचन मंडल के कड़े नियंत्रण में सम्पन्न होगी। मतगणना हेतु जितने भी व्यक्ति आवष्यक समझें जायेगें, को निर्वाचन मंडल नियुक्त कर सकेगा। उम्मीदवार एवं उनके प्रतिनिधि मतगणना नहीं कर सकेंगे।

12–च. निर्वाचन मंडल, मतदान संख्या एवं आवश्यकतानुसार जितने भी जरूरी समझेगा उतने गणना दल नियुक्त कर सकेगा। प्रत्येक दल में दो सदस्य होंगे। एक सदस्य मत पत्र पढ़ेगा तथा दूसरा सदस्य हस्ताक्षरित गणना पत्रक में उसे दर्ज करेगा। कोई भी विरोधाभास अथवा संदेह होने पर निर्वाचन मंडल से तुरन्त उसका निराकरण करवाया जायेगा।

12–छ. निर्वाचन मंडल, द्वारा उम्मीदवार को प्राप्त मतों की घोषणा के एक घण्टे के अन्दर उम्मीद्वार अथवा उनका प्रतिनिधि आवश्यक होने पर निर्वाचन मंडल/अपीलीय मंडल को अपना पक्ष/आवेदन प्रस्तुत कर सकेगें एवं निर्वाचन मंडल, अपीलीय मंडल से सलाह करके अंतिम परिणाम घोषित करेंगे।

12–ज. समस्त गणना पत्रक, परिणाम पत्रक, मतपत्र तथा सम्बंधित रिकार्डस मत पेटी में रखकर उम्मीदवार/प्रतिनिधि की उपस्थिति में निर्वाचन मंडल द्वारा मुहरबंद किये जायेगें।

12–झ. समस्त चुनाव परिणाम निर्वाचन मंडल द्वारा परिणाम की घोषणा के तीन दिनों के अन्दर निवृतमान महासचिव, सचिवों एवं केन्द्रीय/क्षेत्रीय कार्यकारिणी के उम्मीदवारों को प्रेषित कर दिये जायेगें।

इति श्री